तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
8.12.22	पत्रावली पेश। वकील उत्तरपक्ष उप.। वकील उत्तरपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने बताया कि मौजा राजगढ़ परवार हल्का लूणोल तहसील रेवदर के ख.नं. 42/2, 43, 44, 45, 46, 47 कुल रकबा 14-15 बीघा में वादीगण का पैतृक सम्पत्ति होने के नाते हक अधिकार निहित है जबकि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी नामान्तरकरण में लखमा को मोतीजी का गोद पुत्र होने के नाते मोतीजी के हक हिस्से की आराजी में हिस्सा मिलना बतलाते हुए हल्का से पटवारी ने बगैर नामान्तरकरण लखमा के पुत्र के रूप में प्रेमा का नाम दर्ज कर दिया जबकि प्रेमा लखमा का पुत्र नहीं होकर अर्जुन का पुत्र था एवं प्रेमा (वादी) राजेश जो लखमा का पुत्र था, को हक अधिकार से वंचित कर दिया अतः पैतृक सम्पत्ति में किसी को हक अधिकार से वंचित करना विधि के अनुकूल नहीं है। गलत नाम का बेजा फायदा उठाकर प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी को बेचान करने की फिराक में है जिससे वाद की जटिलता बढ़ जायेगी। अतः अपूरणीय क्षति वादीगण को होना संभावित है तथा सुविधा का संतुलन बनाये रखने हेतु प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी को बेचान/बयनामा/हस्तान्तरण पर रोक लगाना नितान्त आवश्यक है। वकील प्रतिवादी को सुना गया। उन्होंने हस्तान्तरण नहीं करने तथा निषेधाज्ञा जारी करने का विरोध किया। पत्रावली का अवलोकन अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है तथा वादी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः वादग्रस्त आराजी में ता. फैसला मूल वाद यथास्थिति बनाये रखने काश्त में उत्तरपक्ष हस्तक्षेप नहीं करें तथा किसी प्रकार से रहन/हस्तान्तरण/बेचान/बयनामा/बख्शीशनामा को। पत्रावली फैसला होने तक स्थगित रहे।